

इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या 1988
14 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग की विकास दर

1988. डॉ. के. पी. रामालिंगम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इस्पात उद्योग ने 5.36 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जो अप्रैल-नवम्बर, 2012 के दौरान विश्व में सर्वाधिक थी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार भारत को विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनाने हेतु सभी कदम उठा रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) और (ख): अप्रैल-नवम्बर, 2012 के संबंध में संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के आंकड़ों (अनंतिम) से यह पता चलता है कि भारत में 51.65 मिलियन टन कूड स्टील का उत्पादन हुआ जो कि अप्रैल-नवम्बर, 2011 की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए) द्वारा दिए गए विश्व कूड स्टील उत्पादन के आंकड़े कैलेंडर वर्ष पर आधारित हैं (अर्थात् जनवरी से दिसम्बर तक)। जनवरी-नवम्बर, 2012 की अवधि से संबंधित इन आंकड़ों (अनंतिम) से यह पता चलता है कि विश्व में स्टील का उत्पादन करने वाले 10 शीर्ष देशों में से टर्की की कूड स्टील उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक थी (6.6 प्रतिशत) और उसके बाद भारत का स्थान आता है जिसकी कूड स्टील उत्पादन वृद्धि 5.5 प्रतिशत थी। तथापि, जनवरी-नवम्बर, 2012 के दौरान उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में भारत (चतुर्थ स्थान) टर्की (8वां स्थान) से आगे था।

(ग) और (घ): सरकार ने इस्पात उद्योग के उत्पादन को प्रतियोगी बनाने और क्षमता में वृद्धि करने में सहायता देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और एनएमडीसी लिमिटेड में अपने-अपने ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में कूड/तैयार स्टील उत्पादन क्षमताओं में पर्याप्त विस्तार करने की प्रक्रिया चल रही है।
- ii. स्टील क्षेत्र में प्रभावी तालमेल तथा विभिन्न निवेश परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अंतर मंत्रालीय ग्रुप (आईएमजी) की स्थापना की है।
- iii. इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, स्क्रेप आदि जैसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों के आयात पर शून्य दर पर अथवा बहुत कम दर पर सीमाशुल्क लगाया जाता है।
- iv. घरेलू मूल्यसंवर्धन को बढ़ावा देने तथा घरेलू लौह अयस्क उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
- v. प्रगति के आड़े आने वाली अड़चनों की जानकारी के लिए इस्पात मंत्रालय नियमित रूप से उद्योग के साथ परामर्श करता है और आवश्यकता होने पर अन्य संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश करता है।
